ऋण प्रार्थना पत्र

सेवा में,
सचिव/अध्यक्ष,
वि॰प्र॰ख॰वे॰भो॰क॰ऋ॰एवम ब॰स॰स॰लि॰
१३२ के॰वी॰ उपस्थान, माजरा देहरादून.

कार्यालय रिपोर्ट		
पिछला ऋण बाकी		
अमानत जमा है		
हिस्सा	जमा है	जमा करना है

egkn;]

मै इस सहकारी समिति का विधिवत सदस्य हूँ तथा अधोअंकित कार्य के निमित कालम (21) पर उल्लेख धनराशि के ऋण दिये जाने की प्रार्थना करता हूँ । तत संबंधित विवरण निम्नांकित है –

(विवरण साफ शब्दो में भरे तथा सभी सूचनाएँ दर्ज करें।)

1- uke ¼fgUnh e½ 2- firk@ifr dk uke

3- uke ¼vxzsth e ½ [ ]

4- firk@ifr dk uke [ ]

5- tUe frfFk [ ] 6- lsok fuo`fRk dh frfFk [ ]

7- i= O;ogkj@orZeku fuokl LFkku dk irk --

8- LFkkbZ fuokl dk irk --

9- nwjHkk"k u0 [ ] 10- eksckby u0 [ ]

11-ukfer mRrjkf/kdkjh dk uke------------------- 12- mRrjkf/kdkjh ls lEcU/k-------------------

13-ih0 ,u0 ch0 [kkrk u0 [ ]

14-foHkkxh; irk------------------- 15- nwjHkk"k u0 -------------------

16-osru vkgj.k dk;kZy; dk uke--

17-nwjHkk"k u0 ------------------- 18- isu u0 [ ]

19- th0@bZ0ih0,Q0 [kkrk u0 ------------------- 20- dqy osru -------------------

21 ऋण की धनराशि जो माँगी गई ------------------- 22- उद्देश्य-------------------

(नोट :-सभी प्रकार के ऋण हेतु वेतन स्लिप एवम आवास हेतु ऋण के लिए एफ़िडेविट एवम वांछित अभिलेख संलग्न आवश्यक है।)

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि उक्त समस्त विवरण सत्य है तथा मेरे द्वारा जो उक्त धनराशि की माँग की गयी है उसका उपयोग मैं उसी मद में करूँगा जिस मद के लिए मांगी गयी है। मैं सहर्ष यह भी घोषणा करता हूँ कि समिति उक्त ऋण के विरूद्घ जो भी कटौती भेजेगी वह मेरे नियोक्ता द्वारा मासिक वेतन से काटकर समिति को प्रेषित कर दी जायेगी। मैं इस अधिकार के लिए अपने नियोक्ता/नियोजक को प्राधिकृत करता हूँ। जिसके लिए मेरे नियोक्ता ने मेरे अनुरोध पर प्रमाण पत्र मेरे पक्ष में निर्गत कर दिया है।

uke------------------------------------ gLrk{kj------------------------------------
inuke ------------------------------------ fnukad ------------------------------------
rSukrh LFkku dk irk--

कार्यालय उपयोग हेतु

चैक स॰ ______________ दिनांक ______________ प्रस्ताव स॰______________ दिनांक ______________

स्वीकृत ऋण राशि ________________________

gLrk{kj lHkkifr gLrk{kj lfpo

सहमति पत्र (Agreement) २

(ऋणी सदस्य का समिति से किया गया अनुबंध पत्र)

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष, वि°प्र°ख°वे°भो°क°ऋ°एवम ब°स°स°लि°

१३२ के°वी° सब स्टेशन, माजरा देहरादून – २४८१७१ .

मैं.....पुत्र/पति.....ने वि°प्र°ख°वे°भो°क°ऋ°एवम ब°स°स°लि° देहरादून से जो रु° (अंको में)_____(शब्दो में)_____ऋण लिया है और यह सहमति की है कि ऋण ली गयी धनराशि मैं अपने वेतन से रु°_____ तथा निर्धारित ब्याज जो समय पर समिति द्वारा संशोधित किया जाए प्रतिमाह, जब तक समिति का पूरा धन चुकता न हो जाए देता रहूँगा। मैं यह सहमति भी प्रदान करता हूँ कि :-

(अ) यदि समिति के उक्त ऋण वापसी में मेरे द्वारा किसी घटना के कारण अवरोध आ जाता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरुध उत्तरांचल सहकारी अधिनियम २००३ की धारा ३९.७०.७१ एवं ९१.९२ तथा समिति की उपविधि अनुसार जो भी कार्यवाही वांछित हो – जिसमे संपत्ति कुर्की शामिल है – करने को अधिक्रत होगी।

.....हस्ताक्षर

(ब) यदि मैंने समिति की किस्ते लगातार दो माह या इससे अधिक माह तक लगातार अदा न की तो समिति को अधिकार होगा कि समिति अपने ऋण पर 3% अधिक ब्याज तथा भविष्य में दी जाने वाली ऋण सुविधा को समाप्त कर दे तथा मेरी सदस्यता का अवधान कर दे।

(स) यदि मेरे जामिनो में से कोई एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है, सेवा निलंबित हो जाती है, दिवालिया हो जाते है, सेवा निर्वत हो जाते है या वर्तमान कार्यालय से स्थानांतरित हो जाते है तो ऐसी अवस्था में मैं समिति को तुरंत सूचित करूँगा तथा जामिनो के स्थान पर दूसरा जामिन दे दूँगा। ऐसा ना करने पर समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को मैं मानने के लिए बाध्य होउंगा।

मैं अपने विभाग के अनुशासको को अधिकार देता हूँ कि यदि मेरा ऋण चुकता करने से पूर्व स्वर्गवास हो जाता है, सेवानिव्रत्ती हो जाती है, पद त्याग देता हूँ तो अनुशासको को अधिकार होगा कि जो धन मुझे या मेरे उत्तराधिकारी को मिलना हो, एवम जो वेतन मेरे विभाग की ओर देय हो अथवा सामान्य भविष्य निधि, सेवापहार देय हो मे से सर्वप्रथम समिति का ऋण मयब्याज के चुकता कर दे और बाद में बचा हुआ धन मुझे या मेरे उत्तराधिकारी को दिया जाये।

(द) मैं यह निश्चित रूप से सहमति देता हूँ कि मेरे तथा समिति के संबन्धो में कोई घटना आ जाती है तो समिति को मेरे ऊपर अदालती कार्यवाही करनी पड़े एवम मेरे ऊपर कोई जुर्माना निश्चित हो जाये तो समिति को पूरा अधिकार होगा कि वो मुझसे पूरा खर्च वसूल कर ले।

(1) जमानती के हस्ताक्षर ……. नाम..... पद ..... पता.....	(2) जमानती के हस्ताक्षर ……. नाम..... पद ..... पता.....

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर ..... नाम.....	पद ..... पता.....

(समिति सचिव की सील एवं हस्ताक्षर)

श्री .....जो मेरे अधीन कार्यरत है तथा समिति का ऋणी है। समिति ऋण वसूली की जो भी माँग/किस्त मेरे कार्यालय को भेजेगी सहकारी अधिनियम की धारा ४० के अनुसार उक्त ऋणी के वेतन से काटकर ७ दिन के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा, यदि उक्त सदस्य किसी भी घटना एवं कारण से भुगतान करने में असफल होगा तो नियोक्ता/नियोजक के नाते मैं उक्त अधिनियम की धारा ४० के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऋणी के सा॰ भा॰ नि॰/ग्रेज्युटी/नकदीकरण अथवा अन्य देयधन से ऋण की सम्पूर्ण राशि काट ली जायेगी तथा समिति को चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

नियोजक की सील एवं हस्ताक्षर

असामान्य व्यवहार पर सदस्यता समाप्ती के लिए (उस स्थिति मे जब लागू हो।)

समक्ष सचिव वि॰प्र॰ख॰वे॰भो॰क॰ऋ॰एवम ब॰स॰स॰लि॰ १३२ के॰वी॰ सब स्टेशन, माजरा देहरादून

यदि मेरा असामान्य व्यवहार रहता है। बिना कारण महीनो विभागीय कार्यो से अनुपस्थित रहता हूँ। मेरा आचरण संदिग्ध हो अथवा किसी भयानक दुर्व्यसन में संलिप्त हो जाऊ-जिससे समिति की वसूली में अथवा ऋण देने में जोखिम आ जाये तो मेरी समिति से सदस्यता समाप्त कर दी जाये। उक्त में से कोई एक कारण ही इसके लिए पर्याप्त समझा जाये। अतएव समिति को अतिरिक्त जोखिम में न डालकर मेरे निम्न सहमति हस्ताक्षर ही पर्याप्त आवेदन मान लिया जाये तथा उसी तिथि से सदस्यता समाप्त समझी जाये।

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पता.....

जामिनो (जमानतियों) का अनुबंध

(मुख्यऋणी एवम उसके जमानतियों का समिति को दिया गया अनुबंध पत्र)

हम दोनों अधोहस्ताक्षरी वि°प्र°ख°वे°भो°क°ऋ°एवम ब°स°स°लि° १३२ के°वी° सब स्टेशन, माजरा देहरादून के सदस्य होने के नाते-संयुक्त रूप से व पृथक-पृथक रूप से अपने आपको श्री ..... पुत्र श्री.....जो कि .....कार्यालय में .....के पद पर कार्यरत है और जिन्होने पूर्व पृष्ठ पर अंकित शर्तो की स्वीकृति पर एवम हमारी जमानत पर समिति से रुपया .....(अंको व शब्दो में) का ऋण लिया है, इस ऋण के भुगतान का पूर्ण दायित्व के लिए अनुबंध करते है। यदि ऋणी उक्त ऋण का किन्ही किश्तों का/ब्याज का भुगतान करने में असफल होता है तो समिति को अधिकार होगा कि वह सहकारी अधिनियम के अनुसार हम दोनों अथवा किसी एक के वेतन से, सा° भविष्य निधि / सेवोपहार से वितरण अधिकारी के माध्यम से कटौती करवा ले।

हम बिना किसी प्रकार की आपत्तियो के सहकारी अधिनियम २००३ की व्यवस्थाओ तथा समिति के बायलाज के अनुरूप मुख्य ऋणी के दायित्वों की सहभागीदारी भी स्वीकार करते है तथा अनुबंध पूर्ण करने का वचन देते है।

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर.....	(१) जमानती हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....
पद.....	पद.....
पता.....	पता.....
दिनांक.....	दिनांक.....

गवाह :-

(१) नाम तथा हस्ताक्षर.....	(२) जमानती हस्ताक्षर.....
	नाम.....
	पद.....
	पता.....
(2) नाम तथा हस्ताक्षर.....	दिनांक.....

निर्देश

निम्नांकित निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़े

१ ऋण के लिए आवेदन कम से कम ३ माह पहले किया जाना चाहिए ताकि समय पर ऋण दिया जा सके।

२ यदि सदस्य लगातार दो बार किस्त की अदायगी न करे तो ३% अधिक दण्ड ब्याज तथा भविष्य में ऋण सुविधा समाप्त करने का समिति को अधिकार होगा।

३ भवन निर्माण के लिए-लिए गए ऋण के लिए सदस्य को पारित नक्शा एवम एफ़िडेविट संलग्न करना आवश्यक है।

४ प्रत्येक ऋण के लिए सदस्यो को अपने नियोक्ता/नियोजक के सहकारी अधिनियम २००३ की धारा ४० के अनुसार वेतन से कटौती की लिखित गारंटी देनी होगी।

५ अधिनियम की व्यवस्थाओ के अनुसार प्रत्येक माह की १० तारीख तक कटौती का भुगतान समिति को प्राप्त हो जाना चाहिए-तत्पश्चात प्राप्त कटौती भुगतान पर नियमानुसार अतिरिक्त ब्याज चार्ज किया जायेगा।

६ प्रत्येक सदस्य को दो अन्य समिति के सदस्यो की नामित गारंटी पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है अदेयता की स्थिति में गारंटरो से वसूली का दायित्व लागू हो जायेगा।

७ वेतन से कटौती का अधिकार(जो अधिनियम की धारा ४० के अंतर्गत समिति को प्राप्त है) अपने ऋण की वसूली के लिए सदस्यो को भविष्य में मिलने वाले किसी भी प्रकार (एरियर्स)अवशेषो से एकमुश्त कटौती का प्राधिकार रखती है इसमे सा॰ भविष्य निधि भी शामिल है।

८ उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त ऋण वसूली के लिए आपकी सम्पत्ति की कुर्क बिक्री से निष्पादित किया जा सकता है। (उत्तरांचल सहकारी अधिनियम की धारा ३९,७०,७१,एवम ९१,९२ के अनुसार)

९ स्थानांतरण की स्थिति में सदस्य को तत्काल समिति कार्यालय को लिखित/टेलीफोन पर सूचना देनी होगी तथा स्थानांतरण समिति कार्य क्षेत्र से बाहर हो तो पूरे ऋण का एकमुश्त भुगतान करना आवश्यक होगा।

१० ऋण की कटौती आपके मासिक वेतन से होगी अलग से जमा करने का विकल्प नहीं होगा।

११ भवन निर्माण ऋण के लिए तत संबंधित प्रमाण एवम गारंटी अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है भवन निर्माण ऋण पर संपूर्ण ब्याज राशि इंकम टैक्स छूट के लिए अनुमान्य है।

१२ समिति ऋण देते समय सदस्य की निष्ठा/भुगतान क्षमता/चरित्र सेवानिवरत्ती आदि मनको को ध्यान में रखती है।

१३ उपरोक्त के अनुसार किसको कितना ऋण दिया जाए का प्राधिकार रखती है।

१४ कोई भी सदस्य यदि बिना सूचना अथवा प्रार्थना के अपनी कटौती रोक दे अनुपस्थित रहे अथवा संदिग्ध निष्ठ है तो समिति उसकी एकमुश्त कटौती की कार्यवाही कर सकती है तथा सदस्यता समाप्त कर सकती है।

१५ सभी आवश्यकताओ की प्रतिपूर्ति के लिए ऋण दिया जाता है-परंतु सभी ऋणों की कुल राशि निर्धारित ऋण सीमा के भीतर रहनी चाहिए।

१६ प्रत्येक सदस्य की उसके कुल वेतन एवम कटौतियों के अवलोकन के बाद नेट वेतन के गुणित भागो के अनुसार एक निशचित ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है और उसी सीमा के भीतर ऋण राशि मंजूर की जाती है-अतएव किसी को भी उस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता।अतएव ऋण राशि भरने से पूर्व अपनी ऋण सीमा की जानकारी जरूर हासिल करे।

मैंने उक्त सभी निर्देश भली भाँति पढ़ लिए है तथा इनका पालन करने की सहमति दी है।

दिनांक..... हस्ताक्षर आवेदक .....

कटौती का अधिकार पत्र

(कृपया इस पत्र को मेरी व्यक्तिक पत्रावली में रख लिया जाये)

सेवा में,

.....
.....
.....

द्वारा :- सहकारी समिति के माध्यम से प्रेषित

विषय :- सहकारी समिति की देयता (Dues) पर वेतन से कटौती का अधिकार पत्र
महोदय,

मैंने वि°प्र°ख°वे°भो°क°ऋ°एवम ब°स°स°लि° १३२ के°वी° सब स्टेशन, माजरा देहरादून – २४८१७१ की विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह समिति २००३ के उत्तरांचल सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। अधिनियम की धारा ४० के अनुसार नियोजक / नियोक्ता को सदस्य के वेतन से कटौती का अधिकार दिया गया है। समिति से मैंने .....धनराशि ऋण हेतु माँग की है।

अतएव भविष्य में जब भी उक्त समिति द्वारा प्रेषित माँग सूची के अनुसार जो भी कटौती की सूचना आपके कार्यालय को प्राप्त होगी-कृपया उस राशि को मेरे मासिक वेतन से अथवा मुझे मिलने वाले अवशेष जी° पी° एफ° /ग्रैचुइटी से काटकर उक्त समिति कार्यालय को भुगतान भेजने की कृपा करे- इसके लियूए मैं ----------अपने नियोजक/नियोक्ता पिटकुल अथवा उसके द्वारा अधिकृत (जो भी हो) को उपरोक्त अधिनियम के अनुसार कटौती के लिए प्राधिकृत करता हूँ। मैंने समिति को भी लिखित मे यह वचन दिया है। कृपया यह पत्र मेरे अभिलेखों में संलग्न कर दिया जाये ताकि भविष्य में कार्यवाही के समय संज्ञान में लिया जा सके। सहकारी समिति यह अधिकार पत्र मेरी और से आपको प्रेषित कर रही है।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय.....

जी° पी° एफ° संख्या.....
प्रतिलिपि-सेवा में वि°प्र°ख°वे°भो°क°ऋ°एवम ब°स°स°लि° १३२ के°वी° सब स्टेशन, माजरा देहरादून. इस अनुरोध के साथ कि मेरे द्वारा लिए गए ऋण धनराशि का ब्योरा दर्ज करने के पश्चात मेरे उक्त नियोजक को यह अधिकार पत्र प्रेषित कर दिया जाये।

भवदीय

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय.....

जी° पी° एफ° संख्या.....